SHRI K. MOHANAN: I just want to know from the hon. Minister whether the Border Roads Organisation is under the Ministry of Defence or not. I want to know whether they are under the Defence Department or the C.P.W.D. Sir, we are raising the question regarding the problems of the employees of this Border Roads Organisation because when we approach the Defence Department, they are saying, no, it is with the CPWD and when we approach the CPWD, they are saying that it is under the Defence Department. So, we would like to know from the Minister whether this Border Roads Organisation is under the Defence Department or under the CPWD.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: It is under the Defence Department. But, I think, certain labourers are casual labourers...

SHRI K. MOHANAN: Not casual labourers but permanent labourers.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Permanent labourers are also not actually the Defence personnel. They have got certain terms of employment and it is guided by those. It will be wrong to say that it is in no way connected with the CPWD.

SHRI K. MOHANAN: Sir, they are nowhere; they are neither with the Defence Department nor with the CPWD. That is why I have asked this categorical question.

MR. CHAIRMAN: Question No. 227.

*227 [*The questioner (Shri Gaya Chand Bhuyan) was absent. For answer,* vide *col.* 35 *infra*].

MR. CHAIRMAN : Question No. 228

Additional outlay for irrigation schemes of Madhya Pradesh

*228. SHRI AJIT P. K. JOGI :†
SHRI PRITHIBI MAJHI:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what additional outlay, if any, was approved by the Planning Commission for various irrigation schemes in Madhya Pradesh, under the drought relief programme;

(b) what amount therefrom has so far been released to the State; and

(c) whether the State Government have requested for any further additional outlay in this regard, if so, what is Planning Commission's response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BIREN SINGH ENGTI) : (a) Planning Commission has approved additional outlay of Rs. 27 crores for 1987-88 to enable the Govt. of Madhya Pradesh to expedite the completion of specified ongoing irrigation schemes/components of scheme as part of the drought relief programmes.

(b) Additional outlay mentioned above is to be funded to the extent of 50 per cent from ceilings of expenditure sanctioned for employment generation programmes under 1987 drought and the balance 50 per cent through additional assistance which is also to be made available as part of drought relief programme. The additional assistance would be forthcoming only after atleast 80 per cent of the Plan provision for these projects has been utilised. The State Govt. has not so far raised any claim for the release of this assistance.

(c) No Sir. The State Government has not requested for any further additional outlay in this regard.

श्री अजीत जोगी : माननीय, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल 27 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान रखा गया है जबकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां लगभग हर साल सूखा पड़ता है और हर साल सिंचाई के काम प्रारंभ होते हैं। आज स्थिति यह है कि वहां ढाई हजार सिंचाई के अपूर्ण कार्य है जिनको पूरा करने के लिये लगभग 3 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। इसको देखते हुए जो 27 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन दिये

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ajit P. K. Jogi.

की बात कही गयी है यह बहुत ही कम है। इसलिये मै यह जानना चाहूंगा कि क्या मध्य प्रदेश के ढाई हजार अपूर्ण सिंचाई के कार्यो को देखते हुए तथा इसके लिये 3 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता को देखते हुए क्या इस आवंटन को बढ़ाने का विचार किया जायेगा।

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION) : SHRI P. SHIV SHANKAR): Sir, what is relevant for the purposes of additional outlay is that there is already an outlay in the 7th Plan for irrigation purposes. Schemes have been identified in drought prone areas, irrigation facilities have to be provided. So wherever it has been thought that additional outlay should be provided so that an impetus is given for those schemes, it is only in such cases that an amount of Rs. 231 crores in 14 States all over the country has been earmarked taking into consideration that if a little fillip is given to those schemes, the irrigation facilities will be more and production of foodgrains would increase. That way, from the point of view of the need-based approach as the hon. Member is trying to suggest, there are quite a large number of schemes and these schemes fall within the State sector. That is why we have committed that where we thought that an additional help to the State could be provided so that the schemes get completed and the foodgrains production goes up it is only in such cases that this decision has been taken, which my colleague has also clarified.

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, मै माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि यह जो अतिरिक्त आवंटन विभिन्न राज्यों को दिया गया है, वह किस आधार पर दिया गया है, क्योंकि जो दूसरे प्रांतों को अतिरिक्त मदद दी गई है, वह मध्य प्रदेश जैसे देश के सब से बडे प्रांत की तुलना में बहुत अधिक है, विशेषकर राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश को हम से बहुत अधिक आवंटन दिया गया है।

तो मै जानना चाहूंगा कि यह आवंटन किस आधार पर दिया गया है और क्या मध्य प्रदेश के आवंटन को बढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी ?

दूसरा, मै यह भी जानना चाहूंगा कि यह जो 27 करोड़ देने की बात की गई है, वह भी दो हिस्सों में देने के विषय में उत्तर मे उल्लेख किया गया है। उसमें से अभी तक कितनी राशि हमे दी जा चुकी है और 27 करोड़ पूरा हमको कब तक दिया जाएगा।

श्री पी० शिवशंकर : हमने उत्तर मे ही निवेदन किया है कि जहां तक एडीशनल आऊटले का संबंध है, वह किस तरह से दी जायेगी यह मेरे साथी ने अभी पढ़ कर सुना दिया है। यह उन स्कीम्स से संबंधित है जो स्कीम्स पूरी हो सकती हैं थोड़ी बहुत यदि सहायता की जायेगी। इसका क्राइटीरिया सिर्फ यह है। अब यह कहना कि दूसरे प्रदेशों को ज्यादा दिया गया है, मै यह नहीं समझता कि यह सही है और यह इस वास्ते कि मेरे सामने दूसरी स्टेट्स के फिगर्ज हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे मध्य प्रदेश को ही काफी कुछ ज्यादा दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता की बात अलग है और स्कीम्स को सामने रखते हुए जिनका अध्ययन प्लानिंग कमीशन ने किया है और हम यह समझते है कि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से थोड़ी बहुत सहायता देने से इन कार्यो की पूर्ति होगी और फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसी ही स्कीम्स की हद तक हमने इसको नियमित किया है। यह कहना गलत है कि दूसरे प्रदेशों को ज्यादा दिया गया है।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, 27 करोड़ में से अभी तक कुछ भी नही दिया गया है। इस वास्ते कि 80 प्रतिशत का जो पहले उन्होंने प्रावधान किया है अपने प्लान में, उसको खर्च करने की जरूरत है। उसके बाद ही वह पूछ सकते है। तभी तो यह पैसा दिया जाएगा लेकिन होगा यह कि यदि यह पैसा दिया

जायेगा, तो वह अपने प्लान में से कुछ भी खर्च नहीं करेगे और फिर यह भी पैसा खर्च हो जायेगा। इसी वास्ते यह एडीशनल आऊटले का प्रावधान एक खास स्थिति मे किया गया है।

श्री **सत्यपाल मलिक** : मान्यवर, मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग सभी प्रदेशो मे जो अंट्रोल्ड इरिगेशन है, जैसे ट्यूबवैल्ज वगैरह, उस पर आऊटले बहुत घट रहा है। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश मे निजी क्षेत्र मे ट्यूबवैल्ज और सरकारी क्षेत्र के ट्यूबवैल्ज की क्या स्थिति है ?

श्री **पी० शिवशंकर** : सर, यह प्रश्न जो है वह एडीशनल आऊटले से संबधित है। आप इसमें ट्यूबवैल्स का प्रश्न पैदा नही होता है। इसके लिये वह दूसरा प्रश्न दें।

Pak President's Statement on Siachin

229. DR. BAPU KALDATE:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Pakistan President as reported in the 'Hindustan Times' dated the 14th January, 1988 to the effect that Siachen was a part of Pakistan and that the Pakistani troops were engaged in a Holy war which was contrary to his earlier statement in September, 1986 to the effect that it was a no man's land; and

(b) if so, what is the reaction of Government with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANTOSH MOHAN DEV) : (a) Government have seen the press report in question.

*The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bapu Kaldate.

(b) While our troops are prepared to meet any threat to this area which is an integral part of India, Government are in favour of a peaceful resolution of all bilateral issues.

डा० **बापू कालदाते** : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कहते है कि यह हिन्दुस्तान का हिस्सा है, लेकिन बारबार आप देखते है कि जैसे कोई जिया बारबार अपना रवैया बदलते हैं और लगातार कई सालों से वहा पर लड़ाई चलती रही है।

तो मेरा पहला सवाल तो यह होगा कि इस इलाके में जो गये कई सालों से लड़ाई चलती आई है, इसमें कितने लोग मारे गये और विषम हवा के कारण घायल हो गये- इसमें आज तक कितने लोग मारे गये और कितने घायल हो गये ? उनकी संख्या क्या है, यही मेरा पहला सवाल होगा ?

रक्षा मंत्री श्री **के० सी० पन्त** : सभापति जी, लोग मारे भी गये और घायल भी हुए और वह सब लड़ाई के कारण नहीं, बल्कि वहां ऐसी परिस्थितिया है और इस तरह से वहां जितनी ठंडक है, उसमें फ्रास्टबाईट वगैरह भी हो जाती है, एवलांचेस है और उन सब की वजह से काफी लोग वहां हताहत हुए। मैं इनकी संख्या यहां बताना ठीक नहीं समझता हू लेकिन और माननीय सदस्य को दिलचस्पी हो, तो मैं उनको अलग से वह संख्या दे सकता हूं।

डा० **बापू कालदाते** : महोदय, मैं एक तरफ और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट का हमने जिक्र किया सवाल लिया में उसमें जिया ने यह कहा है कि that Siachen was a part of Pakistan and the Pakistani troops were engaged in a Jehad. जैहाद यानी धर्मयुद्ध करने की बात वह कर रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि लड़ाई भी जारी रहेगी और दूसरी तरफ पीसफुल नेगोसिएशन भी करते हैं हमको बताईये कि लड़ाई समाप्त होगी और यह पीसफुल नेगोसिएशन से कोई सैटलमेंट होगा, ऐसी आशा लगती है ? अगर लगती है तो इस दिशा में क्या कदम उठाने